न्यायालय जिला कलक्टर,जैसलमेर
पीठासीन अधिकारी श्री प्रताप सिंह IAS
राजस्व अपील सं0 35/2022 (GCMS 2022/46)

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेण्टगण
श्री शूर सिंह पुत्र श्री पन्नेसिंह निवासी ग्राम दवाड़ा तहसील फतेहगढ़ जिला जैसलमेर।		1. राज. सरकार जरिये तहसीलदार, फतहेगढ। 2. पटवारी मूलाना तहसील फतेहगढ़। 3. मैसर्स अडाणी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राज. लिमिटेड

उपस्थित :

1. श्री पूंजराज सिंह अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री मयंक व्यास अप्रार्थी संख्या 03
3. ना0 तहसीलदार (पैरोकार राज) रेस्पोडेण्ट

निर्णय

दिनांक 08.12.2025

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 1074 दिनांक 28.05.2025

1. अपीलांट द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है– अपीलांट ग्राम दवाड़ा पटवार हल्का मूलाना तहसील फतेहगढ़ के खसरा संख्या 567 व 812/568 पर पिछले 30 वर्षो से कब्जा काश्त कर रहा है। अपीलांट का परिवार सन् 1971 में पाक विस्थापित होकर भारत आया उस समय से आज दिनांक तक उक्त भूमि पर अपीलांट की आवासीय ढाणी बनी है तथा अपीलांट काश्त कर अपने परिवार का भरण–पोषण कर रहा है। अपीलांट का परिवार पिछले 55 वर्षो से उक्त भूमि पर ढाणी बनाकर निवासरत है तथा अलावा अपीलांट के पास जीवन यापन करने तथा निवास करने का कोई दूसरा साधन नहीं है। अपीलांट द्वारा उक्त कब्जा काश्त की भूमि पर भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत समय–समय पर जुर्माना राशि भी अदा की गई है। अपीलांट द्वारा कथन किया गया है उसके कब्जे काश्त की उक्त भूमि ग्राम दवाड़ा पटवार हल्का मूलाना के खसरा संख्या 567 एवं 812/568 का मैसर्स अडाणी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राज. लिमिटेड के पक्ष में खोले गये नामान्तकरण संख्या 1074 को निरस्त करने तथा अपीलांट को उक्त भूमि से बेदखल नहीं करने का निवेदन किया है।

अपीलांट द्वारा अपील के सलग्न धारा 05 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया कि अपील अपीलांट को नामांतकरण दर्ज होने की जानकारी होने के एक माह के भीतर प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा अपील अंदर म्याद सुमर किये जाने का निवेदन किया गया है ।

रेस्पोडेण्ट संख्या 03 की ओर से अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया गया कि सोलर प्रोजेक्ट लगाने के लिये भूमि आवंटन करने का मालिकाना हक राज्य सरकार का है अपीलाधीन खसरा संख्या 812/568 एवं 567 ग्राम दवाड़ा पटवार हल्का मूलाना तहसील फतेहगढ़ की सरकारी सिवायचक भूमि थी। जिस पर राज्य सरकार के आदेश क्रमांक 153/2021 दिनांक 29.12.2021 को उक्त खसरों की भूमि का विधिवत रूप से आवंटन कर कंपनी से निर्धारित प्रीमियम लेकर लीज पर दिये जाने का

जिला कलक्टर
जैसलमेर

न्यायालय जिला कलक्टर,जैसलमेर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रताप सिंह IAS

राजस्व अपील सं0 35/2022 (GCMS 2022/46)

आदेश के क्रम में आदेश क्रमांक प.(12)(3)राजस्व/2021/1717 दिनांक 05.05.2022 द्वारा तथा लीज डीड निष्पादित हुई जो उप पंजीयक कार्यालय के नम्बर 202203430100793 दिनांक 13.06.2022 में दर्ज कर तहसीलदार द्वारा मौके पर कब्जा देने की कार्यवाही कर लीज डीड के मार्फत नामांतकरण भरे जाने की कार्यवाही की गई। भूमि का आवंटन सोलर एवं विण्ड प्रयोजनार्थ किया गया है। अधीवक्ता रेस्पोडेण्ट द्वारा कथन किया गया है कि अपीलांट द्वारा रेस्पोडेण्ट को मात्र तंग परेशान करने की नियत से अपील पेश की गई है। अपील अपीलांट सारहीन, आधारहीन व रेकर्ड के विपरित होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया गया है।

उभय पक्षों की बहस पर मनन एवं पत्रावली का अवलोकन, अध्ययन किया गया। रेस्पोडेण्डगण के द्वारा अपीलांट के द्वारा अपील के संलग्न प्रस्तुत धारा 5 म्याद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र में कोई आपत्ति प्रस्तुत–नहीं किये जाने से अपील अन्दर म्याद सुमार की जाती है। उभयपक्षों की बहस एवं पत्रावली के अवलोकन किये जाने के उपरान्त न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अपीलांट के द्वारा विवादग्रस्त भूमि में अपने हक एवं अधिकार के संबंध में कोई ठोस दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाने से एवं विवादग्रस्त भूमि राजकीय सिवायचक भूमि होने तथा राज्य सरकार के द्वारा रेस्पोडेण्ट संख्या 03 के पक्ष में आवंटित किये जाने से अपीलाधीन आलोच्य नामान्तकरण में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किये जाने के कोई ठोस आधार उपलब्ध नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश यथावत रखा जाता है। उभयपक्ष अपना–अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे। आदेश आज दिनांक 08.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर जैसलमेर (राज.)

(प्रताप सिंह)
जिला कलक्टर,
जैसलमेर

जिला कलक्टर
जैसलमेर